संख्या–1224 / 9–आ–1–2000–3एनसीआर / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, बरेली, गाजियाबाद, बुलन्दशहर–खुर्जा,
हापुड़–पिलखुआ, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
3. मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम,
मेरठ एवं गाजियाबाद।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक– 7 अप्रैल, 2000

विषयः उत्तर प्रदेश प्रभाग में एन0सी0आर0 योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु एन0सी0आर0 योजना खाते की स्थापना।

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 प्रभाग में विभिन्न अभिकरणों की विकास योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा प्रदेश शासन के माध्यम से धनराशि इन अभिकरणों को उपलब्ध करायी जाती है। उक्त परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश शसन द्वारा भी अपने अंश के रूप में ऋण राशि संबंधित अभिकरणों के लिए अवमुक्त की जाती है। समस्त ऋण राशि ब्याज सहित एन.सी.आर. योजना बोर्ड को निर्धारित अवधि में प्रतिदान करने हेतु प्रत्येक अभिकरण उत्तरदायी है। यह देखा गया है कि विभिन्न कारणों से ये अभिकरण उक्त ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान निर्धारित समय पर नहीं कर पाते हैं तथा अभिकरण पर भार बढ़ता जाता हैं इसके लिये वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। शासन द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिशा निदेश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक अभिकरण द्वारा एन.सी.आर. योजनाओं के लिये अपने सामान्य खाते से अलग राष्ट्रीयकृत बैंक में एक एन.सी.आर. योजना / खाता की स्थापना की जायेगी जिसके संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें एवं प्रक्रियायें सुनिश्चित की जायेंगी :–

1. एन. सी. आर. योजनाओं के लिए एन.सी.आर. योजना बोर्ड, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त समस्त ऋण / अनुदान राशि एन.सी.आर. योजना खाते में रखी जायेगी।

2. ऋण की माँग करते समय अभिकरण द्वारा जिस सम्पत्ति के निस्तारण से होने वाली आय को ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान हेतु प्रस्तावित किया गया है उसकी आय अनिवार्य रूप से योजना खाते में ही रखी जायेगी। यह उपाध्यक्ष / सचिव एवं वित्त लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदरायित्व होगा। यदि कोई भी विचलन का प्रयास भी किया जाये तो वित्त / लेखा के उस प्रमुख द्वारा सीधे प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन तथा सचिव, आवास विभाग को तत्काल अवगत कराया जायेगा। इस आय से प्रतिदान पूर्ण करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का ही उपयोग अभिकरण द्वारा अन्य कार्यों पर किया जायेगा।

3. प्रत्येक योजना के लिये एक पृथक खाता खोला जाये, जिसमें उस योजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त समस्त आय की धनराशि रखी जायेगी। उक्त धनराशि से ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान किया जायेगा। प्रतिदान पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को ही अभिकरण द्वारा अन्य विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

4. प्रत्येक अभिकरण द्वारा एन.सी.आर. योजना कोष एवं सभी योजनाओं के खातों की प्रतिवर्ष सम्परीक्षा करायी जायेगी तथा वार्षिक बैलेंस शीट एन.सी.आर. सेल एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. प्रत्येक अभिकरण द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान का विवरण भी एन.सी.आर. सेल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. समय–समय पर उक्त योजना कोष एवं खातों की जांच एन.सी.आर. सेल, योजना बोर्ड एवं शासन के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

अतः अपेक्षा की जाती है कि एन.सी.आर. योजनाओं के लिये उपरोक्त व्यवस्थानुसार योजना खाते एवं प्रत्येक योजना की आय के लिये अलग खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थापित कराकर कोष/खातों की सूचना एन.सी.आर. सेल कार्यालय गाजियाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराने तथा योजना कोष/खातों के संचालन हेतु निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 1224(1)/9–आ–1–2000–3एनसीआर/2000, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, एनसीआर सेल, गाजियाबाद।
2. अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार
अनु सचिव